

## अनुबन्ध पत्र

मैं.....अध्यक्ष/प्रशासक/किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ग्राम.....राज्य सरकार की 02.07.2018 से प्रारम्भ होने वाली महत्वाकांक्षी "अन्नपूर्णा दुग्ध योजना" के तहत विद्यालय प्रबन्ध समिति राउमावि/उप्रावि/प्रावि.....से निम्नलिखित शर्तों पर विद्यालय में दुग्ध आपूर्ति करने हेतु अनुबन्ध करता हूँ:-

1. मैं विद्यालय द्वारा निर्धारित तीन दिवसों में प्रार्थना सभा प्रारम्भ होने से पूर्व दूध की उपलब्धता तय करूंगा।
2. मैं विद्यालय में ताजा, शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त दुग्ध उपलब्ध करौंऊंगा।
3. मैं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर 35/प्रति लीटर पर दुग्ध उपलब्ध करौंऊंगा।
4. विद्यालय प्रबन्धन समिति को दुग्ध की गुणवत्ता जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि जाँच के दौरान दुग्ध की गुणवत्ता अथवा दुग्ध मिलावट युक्त पाया जाता है तो वि.प्र.स. को मेरा अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि किसी दिन दुग्ध खराब हो जाता है यथा फट जाता है, दुर्गन्ध देता है या अन्य.. ..तो उसकी क्षतिपूर्ति में अगले दिन दुग्ध की उपलब्ध कराना सुनिश्चित करूँगा।
6. मैं यह अनुबन्ध वि.प्र.स. रा उ मा वि.....से एक वर्ष के लिए नियमित दुग्ध आपूर्ति हेतु करता हूँ परन्तु वि.प्र.स. को मध्य में मेरा अनुबन्ध निरस्त करने एवं आगे बढ़ाने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक:-

अध्यक्ष/सचिव  
वि.प्र.स.....

अनुबन्धकर्ता

साक्षी:-

1.

2.